<u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला–बालाधाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—493 / 2012</u> संस्थित दिनांक—26.06.2012

1—रघुप्रसाद पिता इमरतसिंह, उम्र—43 वर्ष, निवासी—तिरगाव, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—नीलमसिंह पिता इमरतसिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी–तिरगांव, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.), — — — — —

— — <u>आरापागण</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-03/01/2015 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उन्होंनें दिनांक—28.05.2012 को समय करीब सुबह 8:00 बजे तिरगांव प्रार्थिया के घर के सामने गली किनारे, आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत फरियादी सुंदरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत सुंदरीबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—28.05.2012 को समय करीब सुबह 8:00 बजे तिरगांव प्रार्थिया के घर के सामने गली किनारे, आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत जब फरियादी सुंदरीबाई अपने घर पर झाडु लगा रही थी तो तभी आरोपीगण आये और उसे गंदी—गंदी मां—बहन की अश्लील गालियां दिये। आरोपी रघुप्रसाद ने उसे लकड़ी से सिर पर तथा पीठ पर मारपीट किया तथा आरोपी नीलम ने उसे हाथ—मुक्के से मारपीट किया। उसके द्वारा चिल्लाने पर उसका लड़का दीपलाल तथा बहू कमलाबाई ने बीच—बचाव किये। उक्त घटना की रिपोर्ट सुंदरी बाई द्वारा थाना बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र

बैहर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक—84/12, धारा—294, 323/34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 (भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

- क्या आरोपीगण ने दिनांक—28.05.2012 को समय करीब सुबह 8:00 बजे तिरगांव प्रार्थिया के घर के सामने गली किनारे, आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत फरियादी सुंदरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सूनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत सुंदरीबाई को लकडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी सुंदरीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— फरियादी / आहत सुंदरीबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है, जो उसके भतीजे है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह 8:00 बजे की है, वह अपने घर पर झाड़ु लगा रही थी, तभी आरोपी रघुप्रसाद लकड़ी लेकर आया और लकड़ी से उसके सिर तथा हाथ पर मारा, जिससे उसके सिर पर बहुत दर्द हुआ और खून निकलने लगा। घटना समय आरोपी रघुप्रसाद के साथ आरोपी नीलम भी था। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की गई थी। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगुठा लगाती है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस को उसने घटना स्थल बता दी थी।
- 6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के पहले से आरोपीगण का उससे विवाद था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के चौथे दिन थाने में रिपोर्ट की थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि गांव वालों ने रिपोर्ट करने से मना कर दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्रदर्श डी—2 में तथा उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी—1 में गांव के लोग रिपोर्ट करने से मना करने वाली बात नहीं लिखवायी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था, यदि उक्त कारण विलम्ब से रिपोर्ट लेख करने के बारे में उल्लेखित हो तो वह नहीं बता सकती। इस प्रकार साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी—2 में उल्लेखित विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज करने के कारण से हटकर विलम्ब का नया कारण पेश किया है साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारपीट से दर्द होने तथा तबियत ठीक न लगने के कारण विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज किया जाना उल्लेखित है, उक्त तथ्य का फरियादी ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

- 7— कमलाबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह, आरोपीगण तथा प्रार्थी रिश्तेदार है। प्रार्थी रिश्ते में उसकी सास लगती है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह के 8—9 बजे की है। घटना के समय वह अपने कमरे में थी, उसकी सास सुंदरीबाई की आवाज सुनायी देने पर जब वह बाहर निकल कर देखी तो आरोपी रघुप्रसाद, सुंदरीबाई को लकड़ी से मारपीट कर रहा था।
- 8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के अंदर थी तथा उसने मारते हुये नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण को फरियादी सुंदरीबाई का पहले से विवाद रहा है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी—4 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने आरोपीगण के द्वारा फरियादी सुंदरीबाई को कथित मारपीट किये जाते हुये नहीं देखा है तथा सुंदरीबाई के कहने पर अपनी साक्ष्य में कथित मारपीट करने वाले तथ्य पेश किये है।
- 9— दीपलाल (अ.सा.३) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण उसके काका भाई है तथा प्रार्थी सुंदरीबाई उसकी मां है। घटना लगभग 8:00 बजे उसके घर की है। घटना दिनांक को वह अपनी पत्नी कमलाबाई के साथ अलग अपने कमरे था तथा उसकी मां सुंदरीबाई अलग कमरे में थी। आरोपी रघुप्रसाद और नीलम उसके घर पर आये थे। आरोपी रघुप्रसाद ने उसकी मां को लकड़ी से मारपीट किया था। आरोपी फिर अपने घर भाग गये थे।
- 10— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय वह घर के अंदर खाना खा रहा था और जब वह खाना खाकर आया तो आरोपी रघुवर को जाते हुये देखा था तथा उसके सामने मारपीट की घटना नहीं हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी घटना होते हुये देखें जाने के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।
- 11— डाक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—01.06.2012 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के सैनिक द्वारा आहत सुंदरीबाई पित मिस्टर सिंह धुमकेती को लाये जाने पर उसके द्वारा आहत का परीक्षण किया गया था। उक्त परीक्षण में उसने आहत के बांये आंख की भौ पर एक पुरानी चोट पाया था, जिसमें सुधरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो

चुकी थी तथा कुछ भाग पर सुखी पपड़ी भी आ गई थी। आहत द्वारा उसे बताया गया था कि उसके दोनों हाथों पर दर्द हो रहा है तथा उसके द्वारा प्राईवेट ईलाज लिया गया है। उसके मतानुसार आहत को कोई नयी चोट नहीं थी। उसके द्वारा आहत को पुरानी चोटों के लिये सही ईलाज की सलाह दी गई थी। उस्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में उसे घटना के समय की कोई चोट कारित होने के संबंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है, बल्कि आहत के परीक्षण में उसे पुरानी चोट पाये जाने जिसमें सुधरने की प्रक्रिया शुरू होने का अभिमत पेश किया है। अतएव इस साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि आहत सुंदरीबाई को घटना के समय किसी प्रकार की चोट कारित हुई थी।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी पूरन लिल्हारे (अ.सा.5) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—02.06.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक—84/12, धारा—294, 323/34 भा.द. वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श डी—2 विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा सुन्दरी बाई की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श डी—3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा कमलाबाई, दीपलाल एवं प्रार्थी सुन्दरीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि उक्त कथन में दिनांक—02.02.2012 का लेख त्रुटिवश हो गया है, जबिक वह दिनांक—02.06.2012 होना था। उसके द्वारा दिनांक—14.06.2012 को साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 अनुसार एक लकड़ी जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—3 एवं प्रदर्श पी—4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

13— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे विवेचना हेतु डायरी दिनांक—02.06.2012 को सौंपी गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन दिनांक—02.02.2012 को लेख किया जाना प्रकट किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त दिनांक का माह त्रुटिवश लिखा हुआ है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन में घटना से लगभग चार माह पूर्व की तिथि लेख की है। किन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के खिलाफ झूटा प्रकरण तैयार किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षियों के कथन घटना के चार माह पूर्व लेख किये जाने के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त तिथि त्रुटिवश लिखी गई है। यद्यपि अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई उक्त त्रुटि संदेहास्पद प्रतीत होती है। जहां फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने के संबंध में उल्लेखित कारण का समर्थन अपनी साक्ष्य में न किया गया हो और अन्य साक्षियों ने घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण के रूप में अभियोजन का समर्थन न किया हो तब ऐसी स्थित में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षियों

के कथन घटना दिनांक के चार माह पूर्व लेख किये जाने का उल्लेख होने पर सम्पूर्ण तथ्यों को एक साथ विचार में लिये जाने पर संदेहास्पद परिस्थितियां को जन्म देती है।

अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी सुंदरीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण किया या उसे जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी सुंदरीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। जहां तक आरोपीगण के द्वारा आहत सुंदरीबाई को मारपीट कर उपहति कारित करने का प्रश्न है इस संबंध में स्वयं सुंदरीबाई ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण से पूर्व रंजिश होना स्वीकार किया है, रिपोर्ट लिखाये जाने में विलम्ब का स्पष्टीकरण न देकर नये तथ्यों को पेश कर विलम्ब के कारण के संबंध में लोप किया है, जो मामले को संदेहास्पद बनाते है। इसके अलावा चिकित्सीय साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में आहत सुंदरीबाई को घटना के समय कोई नयी चोट कारित होना प्रकट नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने भी अनुसंधान कार्यवाही में पुलिस कथन लिये जाने के समय में परस्पर विरोधाभाष तथ्य पेश किये है, जिन साक्षीगण को अभियोजन ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया उन साक्षीगण ने फरियादी के निकट रिश्तेदार व हितबद्ध साक्षी होते हुये भी चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त समस्त तथ्य युक्ति-युक्त संदेह की परिस्थिति को दर्शित करते है।

15— अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया जाना होता है, जबिक बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में युक्ति—युक्त संदेह उत्पन्न करना होता है। इस मामले में अभियोजन की ओर से जो महत्वपूर्ण संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट हुई है, उन्हें स्वयं अभियोजन की ओर से दूर नहीं किया गया है। अभियोजन मामले में चक्षुदर्शी साक्षी का अभाव है तथा मात्र फरियादी सुंदरीबाई की कमजोर साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात् फरियादी व आरोपीगण के मध्य पूर्व रंजिश का तथ्य एवं अन्य विरोधाभाषी तथ्यों के विद्यमान होने से आरोपीगण को झूठा फंसाये जाने की अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में मामले में उत्पन्न संदेहास्पद परिस्थितियां युक्ति—युक्त संदेह की परिधि में आती है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी सुंदरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत सुंदरीबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव

आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34 506 (भाग—दो) के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संप्रत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

ATTACAN PARENTA PARENTA STATE OF STATE

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट